शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

कमांक/राशिके/RTE/2017/7408 भोपाल दिनांक -9-10-17

प्रति,

कलेक्टर,

समस्त जिले म.प्र.

विषयः—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधियिम,2009 के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों मे निःशुल्क अध्ययनरत बच्चो के आधार नंबर के संबध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार का पत्र कं. 3—24/2016-EE.14 दिनांक 29 जून 2017

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या प्री—स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा मे न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। इन प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा निर्धारित प्रति बालक व्यय अथवा स्कूल द्वारा ली जाने वाली वास्तविक शुल्क मे से जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान जिले से सीधे स्कूल के खातें में किया जाता है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्रकिया की ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था है। सत्र 2016—17 से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से ही इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रवेश प्रारंभ किये गये है। सत्र 2016—17 से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रारंभ किये गये प्रवेश आवेदन पत्र मे आधार नंबर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। अधिकांश बच्चों द्वारा ऑनलाइन आवेदन मे आधार नंबर दर्ज किये गये है। आधार नंबर होने से बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाये आसान होगी तथा आरटीई के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों की ट्रेकिग आसान होगी एवं इन बच्चों की स्कूल को की जाने वाली फीस प्रतिपूर्ति की प्रकिया आसान एवं पारदर्शी हो सकेगी। भारत सरकार द्वारा भी बच्चों को प्रदत्त की जाने वाली प्रोत्साहन स्कीमों मे आधार का उपयोग किये जाने के निर्देश प्रदान किये है।

सत्र 2016—17 मे अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही शीध्र ही प्रारंभ की जाना है। सत्र 2016—17 मे जिन बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति स्कूल को की जाना है उन समस्त बच्चों के आधार नंबर पोर्टल पर संबधित स्कूल द्वारा दर्ज किये जावेगे। यदि किसी बच्चे का आधार नंबर नही बना है तो, अभिभावक अपने बच्चें के आधार कार्ड हेतु नजदीकी आधार पंजीयन केन्द्र मे जाकर पंजीयन करा लें। 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों के यदि पूर्व वर्षो मे बने आधार कार्ड है तो उनको अपडेट भी करा लिया जाये जिससे आधार Authentication मे कोई परेशानी न हो।

कृपया संबधित अधिकारियों को भी आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों के आधार पंजीयन कराने/अपडेट कराने में अभिभावको को सहयोग एवं मार्गदर्शन करने हेतु निर्देशित करें, जिससे अशासकीय स्कूलों द्वारा उनके स्कूल मे अध्ययनरत समस्त बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु पोर्टल पर प्रपोजल तैयार करने की कार्यवाही की जा सके।

कृपया उपरोक्त कार्य को प्राथमिकता देते हुये सत्र 2016–17 में शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 12(1)(c) के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत समस्त बच्चों के आधार नंबर की उपलब्धता होने संबधी कार्यवाही दिनांक 15.10.2017 तक कराने का कष्ट करें।

(लोकेश कुमार जाटव)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.कंमाक / राशिके / RTE / 2017 / 7409 भोपाल दिनांक -9-10-17

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग विभाग भोपाल।
3. आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल सूचनार्थ।
4. आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल सूचनार्थ।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेंट इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन अरेरा हिल्स भोपाल।
6. श्री सुनील जैन, तकनीकी निर्देशक एनआईसी की ओर लेख है कि आधार एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप संबधित के आधार की प्रायवेसी तथा गोपनीयता के नियमों का पालन करते हुये पोर्टल पर व्यवस्था करने का कष्ट करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले म.प्र. की ओर कार्यवाही वावत।
8. संयुक्त संचालक संभागीय लोक शिक्षण कार्यालय समस्त संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही वावत।
9. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही वावत।
10. जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही वावत।
11. समस्त विकासखंड श्रोत समन्वयक की ओर आवश्यक कार्यवाही वावत।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र